कार्यालय – केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक

क्रमांक :– 834 - 844 दिनांक :– 31-10-20

प्रेषिति :–

1. दाधीच फोटो कॉपियर्स, कलैक्ट्री के सामने, टोंक
2. कुनाल कम्प्यूटर्स एण्ड फोटो कापियर्स, न्यायालय परिसर, टोंक
3. महक एण्टरप्राईजेज, कलैक्ट्री के सामने, टोंक
4. नारायणदास फोटो कॉपियर्स, न्यायालय परिसर, टोंक
5. ओमेगा कम्प्यूटर एण्ड फोटोकापियर्स, न्यायालय परिसर, टोंक
6. मै0 आर0आर0 विजयवर्गीय फोटो कॉपियर्स, टोंक
7. सुमित फोटो कॉपियर्स, न्यायालय परिसर, टोंक
8. गर्ग फोटो कॉपियर्स, न्यायालय परिसर, टोंक
9. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय टोंक
10. नोटिस बोर्ड जिला जन सम्पर्क कार्यालय टोंक
11. सिस्टम ऑफीसर जिला एवं सेशन न्यायालय टोंक को जिला न्यायालय टोंक की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

विषय :– वर्ष 2021 में फोटोस्टेट पद्धति द्वारा प्रतिलिपियॉ तैयार करने के सम्बन्ध में निविदा

श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय टोंक के आदेश क्रमांक स्थापना/**2020/6605** दिनांक **20.10.2020** की पालना में केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा जिला एवं सेशन न्यायालय टोंक के अभिलेखों की फोटोस्टेट प्रतियां बनवाने हेतु निम्नांकित शर्तो पर निविदायें बन्द लिफाफों में आमंत्रित की जाती है। निविदा में आटोमेटिक फोटो कॉपी मशीन द्वारा छोटी एवं बडी नकलों की दरें अंकित की जावें। प्रथम एवं द्वितीय फोटो कॉपी के न्यूनतम चार्जेज पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विचार किया जावेगा। न्यायालयों की सभी फोटो कॉपियां लीगल साईज के **70 GSM** कागज पर की जावेंगी। निविदायें इस कार्यालय में दिनांक **17.11.2020** को दिन के **2:00** बजे तक निश्चित रूप से पहुंच जानी चाहिये। इसके बाद प्राप्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदायें दिनांक **18.11.2020** को सायं **4:00** बजे खोली जावेंगी। निविदा की शर्तो का पालन करने के लिये निविदा के साथ वचन पत्र संलग्न करना होगा। वचन पत्र की निम्न शर्ते होंगी।

1. निविदादाता को फोटो कॉपी कार्य बाबत प्रतिष्ठान का पंजिकृत प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
2. सफल निविदादाता को अभिलेखों की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखनी होगी फोटो कॉपी साफ एवं सुपाठ्य करनी होगी।
3. प्रभारी अधिकारी द्वारा अस्वीकृत की गयी प्रतिलिपियों को पुनः तैयार करनी होगी।
4. लाईट नहीं आने की स्थिति में अधिकृत फोटो कॉपियर्स को फोटो स्टेट कॉपीं जनरेटर द्वारा लाईट संचालित कर तैयार करवानी होगी।
5. फोटो कॉपी मशीन खराब होने की स्थिति में अधिकृत फोटो कॉपियर्स को वैकल्पिक व्यवस्था प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपी शाखा की अनुमति से करनी होगी।
6. फोटो कॉपियर्स फोटो प्रति तैयार करने के बाद दस्तावेजात संबंधित कर्मचारी को सुरक्षित संभलायेगा।
7. निविदादाता को **2500/– रूपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी** जो कि निविदाकर्ता को वर्ष 2021 में वचन पत्र की पूर्ण शर्तो का उल्लघंन नहीं होने पर टेण्डर अवधि समाप्त होने के पश्चात लौटा दी जावेगी। यदि निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध वर्ष 2021 में वचन पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त बैंक गारण्टी प्रभारी अधिकारी नकल शाखा के आदेश के अध्याधीन जप्त कर ली जावेगी।
8. यह अनुबंध वर्ष 2021 के लिए ही मान्य होगा एवं कार्य असन्तोषप्रद होने पर अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
9. प्रतिलिपी का नमूना टेण्डर के साथ संलग्न करना होगा।
10. न्यायालय परिसर से प्रतिष्ठान की दूरी 200 गज से अधिक नहीं होगी।

सावित्री

प्रभारी अधिकारी (प्रतिलिपी शाखा)
जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक

Scanned by CamScanner